राजस्थान सरकार
देवस्थान तथा एवं सैनिक कल्याण विभाग
अनुभाग

क्रमांक: प॰ 4(3)सै॰क॰/98 दिनांक: 11-1-2002

-: आदेश :-

विषय:- राजस्थान युद्ध विधवा सम्मान भत्ता नियम, 1998 में संशोधन बाबत ।

राज्यादेश क्रमांक प॰ 4(3)सै॰क॰/98 दिनांक 16-8-99 द्वारा बनाये गये नियमों में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं :-

1. नियम 1 में संशोधन :- विद्यमान नियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात:-

"(1) ये नियम राजस्थान युद्ध विधवा सम्मान भत्ता संशोधन नियम, 1999 के नाम से जाने जायेंगे ।

(2) ये नियम 1-4-1999 से प्रभावी होंगे ।"

2. नियम 2 परिभाषायें के उपनियम 1 व 2 में संशोधन :- विद्यमान नियम 2 के उप नियम (1) व (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :-

"(1) युद्ध से अभिप्राय: प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत-पाक युद्ध 1947, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 एवं 1971 एवं 31-3-1999 तक के विभिन्न काउन्टर इन्सरजेन्सी ऑपरेशन्स तथा एड टू सिविल ऑथोरिटी से है ।"

"(2) युद्ध विधवा से अभिप्राय: ऐसी विधवाओं से है जिनके पति सैन्य सेवा के दौरान 31-3-1999 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं विभिन्न काउन्टर इन्सरजेन्सी ऑपरेशनों एवं एड टू सिविल ऑथोरिटी के दौरान शहीद हो गये हों ।"

3. नियम 4 पात्रता के उपनियम (1) में संशोधन:- विद्यमान नियम 4 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्:-

"(1) ऐसी युद्ध विधवायें जिनके पति सैन्य सेवा के दौरान 31-3-1999 से पूर्व विभिन्न युद्धों, काउन्टर इन्सरजेन्सी ऑपरेशनों एवं एड टू सिविल ऑथोरिटी में शहीद हो गये हों ।"

4. नियम 4 पात्रता के उपनियम (4) के पश्चात् नया उपनियम (5) निम्न प्रकार, जोड़ा जाता है :-

"(5) यदि शहीद अविवाहित था तो उसके माता-पिता को सम्मान

.....2

Sain... Director 479 19/1/02

-2-

भत्ता देय होगा । यदि माता-पिता दोनों जीवित हों तो सम्मान भत्ता पिता के नाम देय होगा । पिता की मृत्यु होने पर सम्मान भत्ता माता को देय होगा ।

सम्मान भत्ता माता-पिता के जीवन काल तक ही देय होगा, उनकी किसी अन्य संतान या कानूनन उत्तराधिकारी को देय नहीं होगा।"

5. नियम 5 भुगतान की विधि के उपनियम (4) में संशोधन:- विद्यमान नियम 5 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

"(4) सम्मान भत्ते का भुगतान प्रतिमाह स्टाल सिस्टम के द्वारा संबंधित युद्ध विधवा/माता/पिता को उनके व्यक्तिगत खातों के जरिये बैंक के माध्यम से किया जावेगा ।"

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर ।
2- समस्त जिला कलक्टर (राज.)
3- समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (राज.)
4- रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव